# कार्यालय जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी, औरैया

पत्रांक 1199/आब0वि0–व्यवस्थापन पत्रा0/2017–2018/दिनांक 20-3-18

## विज्ञप्ति

## वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु अवशेष देशी मदिरा की 02 फुटकर बिकी की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु आवश्यक सूचना :–

शासनादेश सं0 07/2018/ई–2/तेरह–2018–46/2016दिनांक 25–01–2018 एवं तदकम में आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 इलाहाबाद के पत्र सं0 38628/ दस–लाइसेंस–367/सुझाव आबकारी नीति/2018–19 दिनांक इलाहाबाद फरवरी 03, 2018 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बियर की फुटकर बिकी की दुकानों के व्यवस्थापन के उपरान्त द्वितीय चरण में देशी शराब की अवशेष 02 दुकानों का व्यवस्थापन सुसंगत नियमावलियों के प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाना है। पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं सभी को अवसर की समानता प्रदान करने के दृष्टिकोण से जनपद औरैया की अवशेष 02 दुकानों व्यवस्थापन ऑन लाइन आवेदन आमंत्रित कर ई–लाटरी के माध्यम से दुकानवार किया जायेगा। किसी दुकान हेतु एकल आवेदक की स्थिति में नियमानुसार उपयुक्त पाए जाने पर सम्बंधित आवेदक के पक्ष में दुकान का व्यवस्थापन कर दिया जायेगा। दुकानों का विवरण निम्नवत् है :–

| क्रम सं0 | दुकान का नाम | प्रास्थति | निर्धारित एम0जी0क्यू0(36 प्रतिशत वी0/वी0 में) | बेसिक लाइसेंस फीस | लाइसेंस फीस | प्रतिभूति धनराशि रु0 में | धरोहर धनराषि रु0 | अपेक्षित सौलवेंसी की धनराशि | प्रोसेसिंग फीस रु0 | प्रेसिंग फीस पर देय 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पातेपुर | ग्रामीण | 7128 | 199584 | 1582416 | 158242 | 19959 | 297000 | 15000 | 2700 |
| | बढ़िन | ग्रामीण | 7128 | 199584 | 1582416 | 158242 | 19959 | 297000 | 15000 | 2700 |

असफल आवेदकों को धरोहर धनराशि की वापिसी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के माध्यम से की जायेगी। चयनित आवेदकों द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि आबंटित दुकान की देय बेसिक/लाइसेंस फीस की धनराशि में समायोजित कर ली जायेगी। ई–लाटरी हेतु आवेदन करने के लिए निर्धारित वेवसाइट http//upexciselottery.gov.in पर लॉगइन कर रजिस्ट्रेशन कराकर आवेदन किया जा सकता है। उपरोक्त सम्बध में विस्तृत जानकारी एवं जनपद औरैया की वेवसाइड www.auraiya.nic.in पर भी कर सकते हैं।

**ई–लाटरी हेतु अन्य दिशा निर्देश :–**

1– ई–लाटरी प्रणाली से सम्बंधित पोर्टल पर किसी भी आवेदक को सर्व प्रथम अपने आपको पंजीकृत कराना होगा। पंजीकरण के समय सर्वप्रथम उसको अपना आधार नम्बर एवं उसके नीचे दिया गया कैप्चा भरना होगा। यह कार्य करते ही उसके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 प्राप्त होगा जिसे उसको यथास्थान भरना आवश्यक होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जायेगा जिसमें आवेदक को पैन नम्बर सहित कतिपय सूचना भरनी होगी।

2– आवेदक के सफल पंजीकरण पर उसको एक रजिस्ट्रेशन आई0डी0 एवं पासबर्ड उसके माबाइल नम्बर / ई–मेल पर प्रेषित की जायेगी।

3– उक्त रजिस्ट्रेशन आई0डी0 एवं पासबर्ड के आधार पर पंजीकृत आवेदक पोर्टल में प्रवेश पा सकते हैं, प्रवेश करते समय आवेदक को अपना पासबर्ड बदलने के लिए कहा जायेगा, आवेदक को नया पासबर्ड जनरेट करना होगा तथा भविष्य में पंजीकरण संख्या एवं नये पासबर्ड के आधार पर ही पोर्टल में प्रवेश सम्भव होगा।

4– पोर्टल में प्रवेश करके आवेदक अपनी आवश्यकतानुसार उपरोक्त में से किसी दुकान के सम्बंध में दुकान का नाम एम0जी0क्यू0, बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस , धरोहर धनराशि तथा प्रतिभूति धनराशि की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

5– किसी दुकान के लिए वह इन सूचनाओं के आधार पर आवेदन के लिए तैयार कर सकता है। देशी मदिरा, की उक्त दुकानों के लिए देय प्रोसेसिंग फीस, जी0एस0जी0 की धनराशि, अर्हताओं आदि का विवरण भी उसको पार्टल पर उपलब्ध रहेगा। अतः आवेदन करने से पूर्व आवेदक का पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होना आवश्यक है।

6– आवेदन करतें समय आवेदक को अपने नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो(जे0पी0जी0 अथवा जे0पी0ई0जी0 फार्मेट में 10 के0वी0 से 100 के0वी0 तक) हैसियत प्रमाण पत्र, आधार कार्ड , पैनकार्ड, विगत वर्ष की आयकर विवरणी एवं शपथ पत्र की स्केन कॉपी कम्प्यूटर में/ पेन ड्राइव में तैयार रखनी होगी, ताकि अपलोड करते समय यह अभिलेख उसके पास उपलब्ध रहें।

7– किसी भी दुकान के लिए आवेदन चार चरणों में पूर्ण होगा। पहले चरण में आवेदक ऑन लाइन आवेदन हेतु दुकान का चयन करेगा, यदि वह सह आवेदक के साथ आवेदन करता है तो सह आवेदक का विवरण भी भरना होगा तथा दोनों को वांछित धनराशि के समतुल्य हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा इसके बाद द्वितीय चरण में अभिलेख तथा हैसियत प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैनकार्ड, विगत वर्ष की आयकर विवरणी एवं शपथ पत्र की स्केन कॉपी तथा फोटो अपलोड करनी होगी। तत्पश्चात तृतीय चरण में उसे ई–पेमेंट के माध्यम से प्रोसेसिंग फीस, जी0एस0टी0 एवं धरोहर धनराशि(अर्नेस्ट मनी) जमा करनी होगी। यह कार्य करने से पूर्व उसको अपने बैंक एकाउन्ट का डिटेल भी आई0एफ0एस0सी0 कोड सहित भरना होगा ताकि चयनित न होने की दशा में उसकी धरोहर धनराशि वापिस हो सके।

8– चतुर्थ चरण में आवेदक को भरे हुए आवेदन पत्र की प्रिंट लेने की सुविधा होगी तथा पेमेंट किये जाने से पूर्व वह अपने आवेदन में संशोधन भी कर सकता है। लेकिन यदि उसके द्वारा ई–पेमेंट कर दिया गया है तो कोई संशोधन अनुमन्य नहीं होगा।

9– आवेदक को समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात एक पावती रसीद, जिसमें समस्त सूचनायें अंकित होंगी, प्राप्त होंगी जिसका वह प्रिंट ले सकता है। आवेदन के पावती रसीद धारकों को ही लॉटरी स्थल/ पाण्डाल में प्रवेश दिया जायेगा।

10– ई–लाटरी के माध्यम से अनुज्ञापी के रूप मे चयनित हो जाने की दशा मे वह जहा का निवासी है के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र लाइसेंस जारी होने के पूर्व प्रस्तुत करेगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है।

11– आवेदक को देशी शराब, के लाइसेंसधारी के रूप में चयनित किया जाता है तो वह अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के 06 कार्यदिवसों के भीतर बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का 1/2 भाग चयनित होने की सूचना के 10 कार्य दिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन होने की सूचना के 20 कार्य दिवसों के भीतर जमा करदें। यदि उपरोक्तानुसार विहित अवधि में चयनित आवेदक/अनुज्ञापी द्वारा बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका चयन निरस्त हो जायेगा और उसकी धरोहर धनराशि तथा बेसिक लाइसेंस फीस एवं

प्रतिभूति धनराशि उसके द्वारा जमा की गयी हो, राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और उस दुकान को तत्काल पुर्नव्यवस्थित करा दिया जायेगा।

**– जनपद के देशी शराब विदेशी मदिरा, बियर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स अनुज्ञापनों के वर्ष 2018–19 हेतु समय सारिणी :–**

| क्रमांक | विवरण | द्वितीय चरण |
|---|---|---|
| 1 | आन लाइन आवेदन करने की अवधि | 21–03–2018 की प्रातः 10 बजे से प्रारम्भ कर दिनांक 23–03–2018 को अपरान्ह 19 बजे तक |
| | ई–लाटरी की तिथि/ समय एवं स्थल | 26–03–2018 को प्रातः 11 बजे से जनपद मुख्यालय ककोर औरैया |

1– यदि किसी कारणवश किसी निर्धारित तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया जाता है या पूर्व घोषित सार्वजनिक रहता है तो उसके बावजूद सम्बंधित तिथि के लिए निर्धारित कार्य यथावत सम्पादित किये जायेंगे।

02– आवेदकों के प्रेच्छाओं के समाधान हेतु कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाया गया है जिसका दूरभाष नम्बर 05683 245501 एवं आबकारी निरीक्षक क्षेत्र–1 औरैया 9454466320 एवं आबकारी निरीक्षक क्षेत्र–2 बिधूना से 9917022165 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

**आवश्यक सूचना :–**

प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में सफल आवेदक एवं सह आवेदक (दोनों को) को सम्बंधित जिला के जिलाधिकारी द्वारा निर्गत वांछित धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र (मूल प्रति) तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराने के उपरान्त ही अनुज्ञापन निर्गत किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में सम्बंधित दुकान का आबटन निरस्त किये जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

2– प्रथम चरण की ई–लाटरी में सफल आवेदन सम्बंधित देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बियर की दुकान की बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस चयनित होने की तिथि से 06 कार्य दिवस अर्थात विलम्बतम 25–03–2018 तक जमा कराना सुनिश्चित करें।

20/3/18
(ज्ञानेन्द्र नाथ पाण्डेय)
जिला आबकारी अधिकारी
औरैया।

(श्रीकान्त मिश्रा)
जिलाधिकारी 20/3/18
औरैया

पृ0 पत्र सं0 1200–1208 /जि0आ0अ0–औरैया/2017–18/तददिनांकित।

प्रतिलिपि :–1– आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र–1 एवं क्षेत्र–2 को उपरोक्त के कम में इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त के सम्बंध में समुचित प्रचार–प्रसार कर अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र की समस्त दुकानों का नियमानुसार व्यवस्थापन कराना सुनिश्चित करें।

2– प्रतिनिधित एफ0एल0–2, सी0एल0–1सी, औरैया को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

3– नाजिर, कलेक्ट्रेट, औरैया को इस आशय से कि इसे नोटिस बोर्ड पराचस्पा करन हेतु।

4– नाजिर, विकास भवन,, औरैया को इस आशय से कि इसे नोटिस बोर्ड पराचस्पा करन हेतु।

5– विज्ञापन प्रबन्धक, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान औरैया को इस अनुरोध के साथ कि दिनांक 21–03–2017 को प्रसारित होने वाले अपने सम्मानित समाचार पत्र में न्यूनतम स्थान में प्रसारित कराकर बिल दो प्रतियों में भुगतान हेतु जिला सूचना अधिकारी, औरैया से सत्यापित कराकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

20/3/18
(ज्ञानेन्द्र नाथ पाण्डेय)
जिला आबकारी अधिकारी
औरैया